

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ0 अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 467/2025

श्री नरेश कुमार गुर्जर, निवासी नंगली निर्वाण, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333012,
मो0न0 9149819269

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी।


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 17.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 467/2025 पर दिनांक 04.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4847-848 दिनांक 04.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक आरटीआई/2024/1082 दिनांक 03.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिसके संबंध में प्रार्थी को पत्रांक आरटीआई/2024/1082 दिनांक 03.1.2025 द्वारा अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक आरटीआई/2024/1082 दिनांक 03.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिसके संबंध में प्रार्थी को पत्रांक आरटीआई/2024/1082 दिनांक 03.1.2025 द्वारा अवगत करवा दिया गया है। चूंकि आवेदक का आवेदन पत्र असस्पष्ट है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है जिसके संबंध में प्रार्थी को अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं